तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.04.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की बहस है कि ग्राम रामपुरा तहसील समदड़ी की ख.स. 582/79 रकबा 15.09 बीघा, ख.स. 583/79 रकबा 15.09 बीघा, ख.सं. 584/79 रकबा 15.09 बीघा, ख.स. 76 रकबा 1.2464 हैक्टेयर, ख.स. 348/78 रकबा 0.5018 हैक्टेयर, ख.स. 80 रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि चुनी देवी W/O सांवलाराम की खातेदारी की थी जो उन्हें अपनी विधवा माता गैरकी से विरासत में प्राप्त हुई थी। चुनी देवी के फौत होने पर उनके वारिसान - पति सांवलाराम विप्रार्थी सं. 2, पुत्र - प्रार्थी सं. 1 व विप्रार्थी संख्या - 1 एव पुत्रीयां प्रार्थिनी सं. 2 से 4 होने एव इस प्रकार प्रत्येक का 1/6 - 1/6 हिस्सा होने केबावजूद विप्रार्थी सं. 2 ने उक्त भूमि का नामकरण अपने प्रार्थी सं. 1 एव विप्रार्थी संख्या - 1 के नाम पारित करवा लिया और प्रार्थिनी सं. 2 से 4 अपने खातेदारी हको से महरूम हो गई। जबकि चुनी देवी का प्रत्येक वारिस विवादित भूमि के 1/6 - 1/6 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। इस प्रकार विवादित भूमि पुश्तैनी होने एव उस पर प्रत्येक प्रार्थी सं. 2 से 4 का कब्जा काश्त होने से प्रथम द्रष्टया प्रकरण एव सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:52:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व इस हु
	यदि उन्हें उनकी पुश्तैनी हक की भूमि से बेदखल कर दिया गया, तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। अत: ता फैसला मूल वाद विप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थीगण को उनके हक की भूमि से बेदखल नहीं करने और मौके एंव रिकार्ड का यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन जारी किया जावे।	
	हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली का अवलोकन किया।	
	वंश वृक्ष एंव दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित भूमि प्रार्थीगण एंव विप्रार्थी सं० 1 व 2 को विरासत में प्राप्त होना स्पष्ट है। यद्यपि पक्षकारान के विवादित भूमि पर हकों का निर्धारण वाद के विधिवत सुनवाई के बाद निस्तारण से ही संभव होगा, तथापि प्रथम दृष्टया प्रार्थीनी संख्या 2 व 4 का बतौर वारिस चुनीदेवी हक होना पाया जाता है और रिकार्ड के आधार पर उन्हें बेदखल किया जाता है, तो उन्हें अपूरणीय क्षति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।	
	लिहाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण में जारी अन्तरिम स्थगन दिनांक 04-03-2022 जिसके जरिये विप्रार्थीगण को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था, ता फैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाता है।	
	आदेश सुनाया गया।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के संलग्न हो।	
	सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:52:31 IST
Reason: SelfAttested